संपादकीय

बिल के राजनीतिक निष्कर्ष

अप्रत्याशित तेजी और बिना किसी गंभीर विमर्श के मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017, जो कि मुस्लिम समाज में तीन तलाक को अपराध घोषित करता है, को लोकसभा ने पारित कर दिया। इस बिल ?में इस बात का प्रावधान है कि इसका उल्लंघन करने पर तीन साल की कैद हो सकती है। जाहिरा तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित करने के बाद एक प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को ऐतिहासिक होने की संज्ञा दी है। लोकसभा में बहुमत के आत्मविश्वास के चलते सरकार ने विपक्ष की उस मांग को अनसुना कर दिया, जिसमें बिल को अंतिम रूप देने के लिए पार्लियामेंटरी पैनल को भेजने की मांग की गई थी। इस तरह लोकसभा में बहुमत से बिल पारित हो गया क्योंकि विपक्ष में कोई बिल पर मत विभाजन नहीं चाहता था। दरअसल, इस बिल को लेकर विपक्ष दुविधा में था और सरकार राजनीतिक निहितार्थों को अपने पक्ष में करने के लिये तुरत-फुरत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 पारित करने की जुगत में जुटी थी, जिसे उसने आखिर मूर्त रूप दे दिया।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चतुराई से दलील दी कि चूंकि विवाह एक सामाजिक समझौता है, इसके संरक्षण के लिये पहले से कई कानून मौजूद हैं, मसलन दहेज निषेध एक्ट, बाल विवाह निषेध कानून और परस्त्रीगमन निषेध कानून, जो सरकार को अतिक्रमण करने वाली प्रवृत्तियों को रोकने का अधिकार देते हैं, ऐसे में मुस्लिम विवाह में अनुचित प्रवृत्तियों को रोकने की दिशा में सरकार क्यों कदम न उठाये, जबकि शीर्ष अदालत इसे पहले ही निषिद्ध कर चुकी है। इससे ज्यादा इसके सामयिक निहितार्थ यह हैं कि प्रस्तावित कानून के राजनीतिक लाभ-हानि के समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दरअसल, शाहबानों केस में फैसले और उसके निष्प्रभावी होने के बाद से ही भारतीय राजनीति में सबके लिये कॉमन सिविल कोड की मांग जोर पकड़ती रही है। कई राजनीतिक दल मांग करते रहे हैं कि मुस्लिम समाज की संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सामाजिक सद?भाव के लिये भी बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी कि मुस्लिम विवाह से जुड़े सुधारों का दायित्व इस समाज के नेतृत्व व धार्मिक गुरुओं के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील कानून की दुहाई देकर पिछले एक दशक से बेहद चतुराई के साथ हिंदू समाज का कथित रूढ़िवादी मुस्लिम समाज के विरुद्ध ध्रुवीकरण किया जाता रहा है, जिसे मौजूदा परिवेश व सोशल मीडिया में स्थापित किया जाता रहा। वहीं 'तुष्टीकरण' की दलीलें बदस्तूर जारी हैं।

मुंबई हादसे के सबक

मुंबई के कमला मिल्स परिसर अग्निकांड ने बहुमंजिला इमारतों और व्यापारिक परिसरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर फिर से सवाल उठाए हैं। विडंबना ही है कि इस देश में हर बड़े हादसे के बाद चिंताओं में तो खूब गंभीरता दिखती है, लेकिन सिस्टम इन चिंताओं को शायद ही कभी गंभीरता से लेता हो। नतीजा, हादसों का सिलसिला जारी रहता है। मुंबई हादसा भी सिस्टम की ऐसी ही उदासीनता का कुफल है। वरना कोई कारण नहीं था कि एक ऐसा रेस्तरां शहर के प्रमुख इलाके में चलता रहता, जिसमें सुरक्षा के न्यूनतम मानकों का भी पालन नहीं किया गया था। वहां आग बुझाने के उपकरण तो नहीं ही थे, आपातकालीन द्वार पर सामान का ढेर था, जिसके कारण उसका इस्तेमाल न हो सका। हादसे के वक्त वहां पार्टी चल रही थी और मृतकों में सभी युवा हैं। यह तथ्य कम खौफनाक नहीं है कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं, दम घुटने से हुईं, जो यह बताता है कि मौका मिलता और वे निकल पाते, तो आज जीवित होते। इस तथ्य से होटल प्रबंधन की लापरवाही खुद-ब-खुद तय हो जाती है, लेकिन इस पर तब तक काबू नहीं हो सकेगा, जब तक कि त्वरित व सख्त दंड की नजीर नहीं पेश की जाती।ऊंची-ऊंची इमारतें और टावर जब तरक्की का पैमाना बनते जा रहे हों; छोटी पड़ती धरती पर आकाश की ओर विस्तार ही विकल्प हो, तो रखरखाव और सुरक्षा मानक भी उतने ही सख्त होने चाहिए। मानकों में सख्ती ही नहीं, इन्हें सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं भी बहुत दुरुस्त और चुस्त होनी चाहिए। मुंबई हादसे के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। रेस्तरां का हाल बता रहा है कि वहां शायद ही कभी मानकों की जांच हुई हो। ऐसा होता, तो आग बुझाने वाले यंत्र मौके पर जरूर मिलते। वैसे इस देश में गारंटी से नहीं कह सकते कि आग बुझाने वाले यंत्र मौजूद हों, तो वे अनिवार्यत- काम भी करेंगे। ज्यादातर बहुमंजिली इमारतों में तो स्टाफ को ही नहीं पता होता कि आपात स्थितियों में पानी कहां से लेना है और लोगों को किस रास्ते सुरक्षित निकाला जा सकता है? विशेषज्ञ और सामान्य समझ, दोनों यही कहते हैं कि इमारतें जितनी ऊंची और विस्तारित होंगी, सुरक्षा मानक उतने ही संवेदनशील होंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान यह भी बताता है कि हमारे ज्यादातर शहरों के पास आपात स्थितियों में इमारत की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के साधन नहीं हैं। अग्निशमन वाहन कई बार इसलिए लाचार होते दिखे कि उनके जाने की जगह खुली पार्किंग में तब्दील हो चुकी थी और आग तक पहुंचने से पहले इन गाड़ियों को हटाना बड़ा काम था। जाहिर है, यह सब प्रशासनिक तंत्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। समझना यह भी होगा कि आकाश की ओर विस्तार का यह सिद्धांत अपनाने में ही तो कहीं चूक नहीं हो रही। यह सुरक्षा के प्रति हमारे संवेदनशील न होने या सुरक्षा की संस्कृति विकसित न होने का मामला भी है। मुंबई के निगम पार्षदों को यह पता था कि वहां बहुत कुछ नियम विरुद्ध है, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने महज एक चिट्ठी लिखकर अपनी जवाबदेही पूरी कर ली। क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि लापरवाही के इस मामले में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें भी क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए? यह दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे को याद करने का वक्त है, जिसमें पर्याप्त आपात-निकासी का न होना दम घुटने से मौतों का कारण बना था। उस मामले में फैसला आने में 20 साल लग गए। कमला मिल्स हादसे के दोषियों को सजा मिलने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। त्वरित अदालत में कठोर दंड सुनाकर यह सख्त संदेश देने का भी अवसर है।

इमारतों और वहां रहने, आने-जाने वाले लोगों की हिफाजत के लिए जिन उपायों की जरूरत पड़ती है, उन्हें अपनाने की संस्कृति हम अब भी विकसित नहीं कर पाए।

कटाक्ष/ कबीरदास

स्वीकृति के अनुरूप स्पर्श की अनुभूति

स्पर्श एक अनुभव है, अनुभूति है, वस्तु के प्रति आत्मबोध है। वैसे तो स्पर्श का अर्थ है किसी वस्तु को छूना, लेकिन इस छूने में जो अनुभव है, वह स्पर्श का मूल अर्थ बताता है। स्पर्श मूलत- किसी वस्तु के संपर्क से उत्पन्न होता है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि संगति के संपर्क से मन में काम की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहां स्पर्श-बोध का विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने 'संजायते शब्द का प्रयोग किया है, यानी जब हमारी मनोदशा किसी से टकराती है या मन के भावों का कहीं प्रतिरोध होता है, तभी मन में विकार उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिक स्पर्श की गहन व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्पर्श के अनेक प्रकार होते हैं। एक साधारण-सा स्पर्श कई दिशाओं में अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। जब हम पत्नी का स्पर्श करते हैं, तो एक अलग बोध होता है, पुत्री को स्पर्श करते हैं तो मन में अलग भाव होता है और माता-पिता के चरण छूते हैं तो एक अलग दिव्यता का बोध होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्पर्श तो एक ही है, लेकिन उसके अनुभव में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? यही बोध है। बोध की अनुभूति चेतन मस्तिष्क से होती है। लेकिन जब हमारा बोध, हमारी दृष्टि और हमारी चाहत जाग्रत होती है तो उसी के अनुरूप अनुभव भी होता है। इसलिए अहम है हमारी चाहत।

नए-नए आयाम तय करता भारतीय विज्ञान

मुकुल व्यास

वर्ष 2017 भारतीय विज्ञान एक नए शिखर पर पहुंचा। हमारे वैज्ञानिकों और रिसर्चरों ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जो सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में सराही गईं। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। 2017 में शानदार उपलब्धियों की शुरुआत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने फरवरी में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह छोड़कर की थी। यह अनोखा विश्व रिकॉर्ड है, जिसने दुनिया के समक्ष अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती काबिलियत का सिक्का जमाया। जून में इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क3 का सफल प्रक्षेपण किया। इस 640 टन वजनी रॉकेट से जीसेट-19 नामक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इस रॉकेट का उपयोग भविष्य में भारतीयों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उसी महीने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा ने तमिलनाडु के छात्रों द्वारा निर्मित 64 ग्राम के उपग्रह, कलामसेट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इस साल का समापन शानदार ढंग से करते हुए भारत ने 28 दिसंबर को शत्रु की मिसाइल को मिसाइल से नष्ट करने की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। भारत इस 'स्टार्स वार्स जैसी टेक्नोलॉजी में दक्षता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। यह स्वदेश में विकसित 'एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का साल में तीसरा परीक्षण था। पिछले दिनों भारत ने स्वदेश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक आकाश मिसाइल के भी सफल परीक्षण किए।

पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) के खगोल-विज्ञानियों ने जुलाई में आकाशगंगाओं के एक महाकुंज अथवा सुपरक्लस्टर की खोज की घोषणा की। इस सुपरक्लस्टर का नाम उन्होंने 'सरस्वती रखा। आकाशगंगाओं के एक झुंड या क्लस्टर में 1000 से लेकर 10000 आकाशगंगाएं हो सकती हैं, लेकिन एक एक सुपरक्लस्टर में 40 से 43 क्लस्टर हो सकते हैं। भारतीय रिसर्चरों ने बताया कि 'सरस्वती सुपरक्लस्टर पृथ्वी से चार अरब प्रकाश वर्ष दूर है। चार अरब वर्ष पुराने सुपरक्लस्टर का अध्ययन करके वैज्ञानिक उस अतीत को देख सकते हैं, जब हमारा ब्रह्मांड काफी युवा था।

> वर्ष 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों के जरिए देश-दुनिया में भारत की किर्ति को नई बुलंदियों पर। इस साल इसरो के वैज्ञानिकों ने एक लाथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजते हुए इतिहास रचा। इसके साथ-साथ खगोल, प्रतिरक्षा व चिकित्सा समेत अनेय क्षेत्रों में भी भारततीय वैज्ञानिकों ने नए कीर्तिमान रचे हैं।

गुरुत्व तरंगों की खोज में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इन तरंगों को ग्रेविटेशनल वेव्स भी कहा जाता है। पहली गुरुत्व तरंगों की खोज के बारे में प्रस्तुत रिसर्च पेपर के सह-लेखन में 37 भारतीय वैज्ञानिक शामिल थे। ध्यान रहे कि इस खोज में शामिल प्रमुख रिसर्चरों को 2017 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिसर्चरों का नेतृत्व आईयूसीएए के संजीव धुरंधर ने किया था, जो 30 वर्षों से इस विषय पर काम कर रहे हैं। करीब एक अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में दो ब्लैक होल आपस में टकराकर एक दूसरे में विलीन हो गए थे। इस प्रक्रिया में उत्पन्न कंपन से गुरुत्व तरंगें निकलीं, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर पहुंचीं और सितंबर 2016 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इन तरंगों की 'चहक' सुनी। इन तरंगों के अस्तित्व के बारे में पिछली एक सदी से अटकलें लगाई जा रही थीं। इनके अस्तित्व के बारे में सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। गुरुत्व तरंगों की खोज ब्रह्मांडीय भौतिकी और खगोल विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वैसे गुरुत्व तरंगों पर अनुसंधान से भारत का संबंध बहुत पुराना है। पुणे में 1988 में आईयूसीएए की स्थापना के बाद उसके प्रथम अध्यक्ष प्रो. जयंत नालीकर और उनके सहयोगी धुरंधर ने भारत में गुरुत्व तरंगों पर अनुसंधान के लिए फंडिंग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वे अधिकारियों को इसके लिए राजी नहीं कर सके थे।

इस वर्ष भारतीय वैज्ञानिकों ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पुणे के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने देश में पहली बार गर्भाशय का प्रत्यारोपण किया। उन्होंने एक महिला के गर्भाशय को उसकी 21 वर्षीया पुत्री में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया, जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी। गत सितंबर में कोच्चि स्थित अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने एक 19 वर्षीय छात्रा श्रेया सिद्दनागौड़ा के दो हाथों का प्रत्यारोपण किया। इस तरह का ऑपरेशन एशिया में पहली बार हुआ। श्रेया ने पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। अंगदाता एक 20 वर्षीय छात्र था, जिसे ब्रेनडेड घोषित किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार अभी तक इस किस्म के सिर्फ नौ प्रत्यारोपण हुए हैं। पुणे की एक कंपनी ने 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पर एक एक ऐसा उपकरण पेश किया, जो बिजली उपलब्ध न होने की स्थिति में भी कार्डियक अरेस्ट के मरीजों की जान बचा सकता है। डीफाइब्रिलेटर नामक इस उपकरण को हाथ से घुमाकर 12 सेकंड में चार्ज किया जा सकता है। आयातित इलेक्ट्रिक डीफाइब्रिलेटर की तुलना में इसकी लागत एक-चौथाई है। कंपनी को यह उपकरण विकसित करने में चार वर्ष लगे।

इसी तरह आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने दक्षिण कोरिया की पोहांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों के साथ मिलकर प्याज के छिलके से एक ऐसा सस्ता उपकरण बनाया है जो शरीर की हलचल से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इससे पेसमेकर, स्वास्थ्य पर नजर रखने वाली 'स्मार्ट गोलियों और शरीर पर धारण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऊर्जा मिल सकती है। रिसर्चरों का कहना है कि यह उपकरण प्याज के छिलके के उपयुक्त पीजोइलेक्ट्रिक गुणों का प्रयोग करता है। यह जैविक दृष्टि से स्वयं क्षरित हो जाता है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ में रोजमर्रा की यांत्रिक हलचल की ऊर्जा को बिजली में बदलने की क्षमता होती है। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर भानु भूषण खटुआ का कहना है कि इस नायाब और किफायती उपकरण से आम आदमी भी किसी भी परिस्थिति में बिजली उत्पन्न कर सकता है। तेजी से बढ़ रही आबादी, औद्योगीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रिसर्चरों का कहना है कि जीवाश्म-आधारित ईंधनों पर बढ़ते हुए बोझ और प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट को देखते हुए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए वैकल्पिक टेक्नोलॉजी विकसित करना बहुत जरूरी हो गया है।

-लेखक विज्ञान संबंधी मामलों के जानकार हैं।

परत-दर-परत

अपने आप को अपराधमुक्त कर देना

राजकिशोर

इधर फेसबुक का एक नया उपयोग शुरू हुआ है। एनडीटीवी के रवीश कुमार जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वह दिन-प्रतिदिन गुस्ताख होता जा रहा है। कई वर्षों से इक्का-दुक्का जगहों को छोड़ कर केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की संगत आलोचना करने के लिए भी जगह नहीं बची है। ठीक है कि विद्वेषपूर्ण या पूर्वाग्रहयुक्त आलोचना से समाज को कोई लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, लेकिन जब सामान्य या वस्तुपरक आलोचना के लिए भी जगह सिकुड़ती जाए तो सच और प्रचार के बीच की सीमा रेखा ही धूमिल होने लगती है। डॉ. लोहिया का कहना था कि जनतंत्र का मतलब है बहस से चलने वाली सरकार। लेकिन जब स्वतंत्र तर्क-वितर्क की गुंजाइश ही न रह जाए तब बहस कैसे होगी? चूंकि परंपरागत मीडिया अखबार, रेडियो, टेलीविजन में यह गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग अपना गुबार फेसबुक पर निकाल रहे हैं। फेसबुक में सरकार के कुछ खास पहलुओं की आलोचना तीव्र होती जा रही है। बेशक, इन लिखतों में बहुत कुछ अनर्गल होता है। गाली-गलौज भी। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह खतरा हमेशा बना रहता है। इस संबंध में गांधी जी की यह बात बहुत प्रासंगिक है कि जिस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं हो सकता, वह स्वतंत्रता ही नहीं है फेसबुक पर ही हाल में देहरादून की राजनैतिक कार्यकर्ता कविता कृष्णपल्ली की मजेदार टिप्पणी आई है, जिसे उन्होंने ''एक तिलस्मी यथार्थवादी भारतीय कहानी' कहा है। कहानी यह है ः ''रामू ने एक दिन बहुत उत्पात मचाया। फिर रामू ने रामू को गिरफ्तार कर लिया। रामू की अदालत में रामू का मुकदमा चला। रामू ने रामू पर अभियोग लगाए और फिर रामू ने रामू का बचाव किया। जज रामू अभियुक्त रामू को दोषमुक्त करने के बारे में सोच ही रहा था कि सरकार रामू ने आदेश जारी कर दिया कि रामू पर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता। इस तरह सरकार ने जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और न्याय की लंगोटी उतरते-उतरते रह गई।' कविता जी ने इस कहानी को यथार्थवादी कहा है, और साथ ही तिलस्मी भी। कहानी की खूबी यह होती है कि उसमें यथार्थ होता है, लेकिन वह सीधे-सीधे नहीं आता। कलात्मक ढंग से आता है। लेकिन संवेदनशील पाठक तुरंत समझ जाता है कि इशारा किधर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बहुत-सी ऐसी रचनाएं लिखी गईं जिनमें अंग्रेजी सरकार का कोई जिक्र नहीं था, पर उन्हें खतरनाक समझ कर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन्हीं में एक रचना थी, प्रेमचंद की ''सोजे वतन'। ''एक तिलस्मी यथार्थवादी भारतीय कहानी' भी ऐसी ही है। कहानी में वह रामू कौन है, जिसने उत्पात किया था? वह रामू कौन है, जिसने आदेश जारी कर दिया कि रामू पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? कहने की जरूरत नहीं कि दोनों एक ही सज्जन योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने के पहले का इनका एक राजनैतिक इतिहास भी है। मुख्यमंत्री बनने के पहले सांसद थे। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने योगी पर बहुत-से मुकदमे दायर किए थे। कुछ में आरोप थे-दंगा करना, हत्या करने का प्रयास करना, खतरनाक हथियारों से लैस होना, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना और अवैध जनसमूह का सदस्य होना। इनमें से कोई भी मुकदमा सिविल नहीं है। सभी फौजदारी यानी इंडियन पीनल कोड में वर्णित अपराधों से संबंधित हैं, जिनके लिए सजा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माना जाता है कि ये अपराध व्यक्ति नहीं, समाज के विरुद्ध हैं। योगी की सरकार आने तक इनमें से एक भी मुकदमे का निपटारा नहीं हो पाया था। कायदे से जब कोई सरकारी मुकदमा शुरू हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाए। अपराध की मीमांसा न्यायपालिका का विषय है। मेरा मानना है कि पुलिस भी न्यायपालिका के अधीन होनी चाहिए जिससे उम्मीद की जाती है कि कानून का पालन करेगी और कराएगी। पुलिस सरकार के अधीन होती है, तो उसका दुरु पयोग हो सकता है, और कोई देश ऐसा नहीं होता है, जहां ऐसा न होता हो। तो हुआ यह कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उनके सामने वे कागजात पेश किएगए जिन पर उनके हस्ताक्षर के बाद ही उनके विरु द्ध चल रहे मुकदमों को जारी रखा जा सकता था। विचित्र स्थिति थी। कौन आरोपित इतना दिलदार होगा कि कहे कि शौक से मुकदमे जारी रखो, मैं निदरेष हूं, मुझे कोई भी अदालत सजा नहीं दे सकती। लेकिन मुख्यमंत्री कोई साधारण आदमी नहीं होता। उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य में इंडियन पीनल कोड को लागू होने दे और जो इसका उल्लंघन करता है, उसे सजा दिलवाए। मुख्यमंत्री खुद सजा नहीं दे सकता, यह काम अदालत का है। इसलिए वही तय कर सकती है कि किस मुकदमे में दम है, और किस मुकदमे में नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून हाथ में लेकर अपने खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों को निरस्त कर दिया। क्या यह संविधान के विरु द्ध और न्यायपालिका का अपमान नहीं है? सवाल यह भी है कि जिन अदालतों में ये मुकदमे लंबित थे, उन्होंने किस वजह से ऐसा होने दिया?

प्रसंगवश

चक्रव्यूह में फंसती शिक्षा

गिरीश्वर मिश्र

आज के विकसित देशों में समृद्धि और संपन्नता के बड़े और कदाचित महत्वपूर्ण कारणों में एक प्रमुख कारण वहां की निरंतर बढ़ती ज्ञान-संपदा है, जिसके ऊपर देश के बजट का बड़ा भाग खर्च किया जाता है।विश्व बैंक के ज्ञानअर्थ व्यवस्था सूचकांक (नॉलेज इकोनोमी इंडेक्स) को देख कर यही लगता है कि ज्ञान की पूंजी से ही किसी देश का वास्तविक विकास संभव हो पाता है। कुछ वर्ष पहले भारत का इस सूची में सौवां स्थान था। निश्चय ही ज्ञान की पूंजी आर्थिक पूंजी की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम पिछड़ रहे हैं। अत- भारत को अग्रणी राष्ट्रों में शुमार होने की आकांक्षा है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को गुणात्मक रूप से उच्चस्तरीय बनाना होगा। स्मरणीय है कि कोई भी ज्ञान अपने संदर्भ से कट कर प्रासंगिक और उपयोगी नहीं हो सकता। कहीं अन्यत्र से ला कर दूसरी भूमि में रोप देने पर पौधा मुरझा जाता है। अत- यहां के समाज में यहां की आवश्यकता और सांस्कृतिक प्रकृति को ध्यान में रख कर ही कार्य करना होगा। आज भारत में संख्या की दृष्टि से शिक्षा का उल्लेखनीय प्रसार हुआ है, फिर भी हमारी उपलब्धियां और जिम्मेदारियां भयावह पैमाने की हो रही हैं, और उनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। उदाहरण के लिए अभी तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य नहीं पाया जा सका है, और न ही स्कूली आयु के सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य ही पाया जा सका है। सच कहें तो अपनी वर्तमान हालत में भारतीय शिक्षा अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है। प्रवेश, प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणीकरण के चार पायों पर टिकी शिक्षा नामक रचना के पायों के नीचे की जमीन दिन-प्रतिदिन खिसकती जा रही है। छात्र और अध्यापक के ताने-बाने से बनने वाली यह रचना कमजोर पड़ती जा रही है। इसकी चूल गांठें अपनी जगह से खिसक रही हैं। उससे निकलने वाले उत्पाद प्रश्नांकित हो रहे हैं, और शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। कुल मिला कर भारतीय शिक्षा एक चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। शिक्षा के लक्ष्यों जैसे कुशल और सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध होना, व्यावसायिक विकास, कला और संस्कृति के विकास और सामाजिक दायित्व के भाव को लेकर शिक्षा से जो आशा बंधी थी, वह निकट भविष्य में पूरी होती नहीं दिखती। वस्तुत- शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच द्वंद्व और सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है। एक ओर ज्ञान की जिज्ञासा व्यक्ति स्वतंत्रता की अपेक्षा करती है, तो दूसरी सामाजिक शक्तियां ज्ञान का नियोजन और अनुबंधन करती चलती हैं। उदाहरण के लिए आज हमें स्थानीय और विश्वस्तरीय शिक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। संपूर्ण मनुष्य के निर्माण को जगह देनी होगी। नैतिक चरित्र का विकास, कला और कौशल का विकास, सृजनात्मकता और सामाजिकता का विकास कैसे शिक्षा की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से लाया जाय यह सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा को वस्तु मान कर उसकी मात्रा को बढ़ाने का उपक्रम किया जाता रहा है जबकि अपने मौलिक स्वरूप में शिक्षा जिज्ञासा का मानसिक संस्कार करने वाली प्रक्रिया होती है। यह व्यवस्थित होते हुए भी उन्मुक्त होती है अर्थात वह बाह्य प्रभावों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहती है। अत- उसे चुनने की छूट मिलनी चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा को प्रकाशित होने का अवसर मिल सके। उसे अनिश्चित और असुरक्षित देश काल में जीने का अवसर मिलता है। भारतीय शिक्षा की चुनौती का प्रमुख स्रेत बदलता जनसंख्या का पिरामिड है, जिसके अनुपात में स्कूलों और अध्यापकों की संख्या और अन्य संसाधन पर्याप्त नहीं हैं, उनकी गुणवत्ता का प्रश्न तो बहुत दूर है। साथ ही स्कूलों के चरित्र को निजीकरण और वैश्वीकरण ने और भी जटिल बना दिया है। व्यवस्था की जकडन और जंजीरें हमें किंकर्तव्यविमूढ़-सी बना रही हैं। शिक्षा की योजना बनाते हुए हमें अपनी जमीनी हकीकत को टटोलते हुए अपनी सामाजिक विविधता पर गौर करना होगा। आज आदिवासी, ग्रामीण, पर्वतीय, अनुसूचित और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित व्यवस्था करनी होगी। स्कूली स्तर पर बच्चों की स्कूली परिपक्वता, पाठ्यक्रम का आकार और विषयवस्तु, भाषा की शिक्षा और माध्यम के प्रश्न पर विचारना होगा। प्रवेश का नियमन और बच्चों को स्कूल में टिकाए रखने के लिए भी नीतिगत फैसले लेने होंगे। ये सवाल बहुत दिनों से लंबित पड़े हैं। आशा है सुशासन और निष्पादन पर जोर देने वाली वर्तमान सरकार इस और भी ध्यान देगी।

> शिक्षा को वस्तु मान कर उसकी मात्रा बढ़ाने का उपक्रम जारी है जबकि अपने मौलिक रूप में शिक्षा जिज्ञासा का मानसिक संस्कार करने वाली प्रक्रिया होती है। व्यवस्थित, लेकिन उन्मुक्त होती है उसे चुनने की छूट मिले ताकि उसकी प्रतिभा को निखरने का अवसर मिल सके